फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय

[illegible] बनाम [illegible]

6/D-18

आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
1	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थी 1 व 2 आवश्यक तामिल उपस्थित नहीं हुए। विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वास्ते बहस अन्तिम दिनांक 28/11/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
[illegible]24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित वास्ते बहस अन्तिम दिनांक 29/11/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
29/11/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त है। पत्रावली [illegible] अनुसार दिनांक 4/12/24 को पेश हो।	
[illegible]2/2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन करने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या : 6/2018
निर्णय दिनांक : 04.12.2024

राधेश्याम पुत्र श्रीनारायण
प्रभुनारायण पुत्र श्रीनारायण समस्त जाति खाती निवासीयान ग्राम महासिंहपुरा उर्फ कपुरावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

नन्छीराम पुत्र श्री नोलाराम
छोटीलाल पुत्र श्री नोलाराम समस्त जाति अहिर निवासीयान ग्राम महासिंहपुरा उर्फ कपुरांवाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र बाबत नक्शा ट्रेस में तरमीम किये जाने
निर्णय

दिनांकः 04.12.2024

प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की हाल आराजी कृषि भूमि खसरा न0 613/1204 रकबर 0.58 है०, खसरा न0 619 रकबा 0.04 है०, खसरा न० 620 रकबा 0.06 है०, खसरा न0 621 रकबा 1.20 है०, खसरा न0 624 रकबा 0.02 है०, खसरा न० 825 रकबा 0.04 है०, खरारा न० 626 रकबा 0.47 है० कुल किता 7 कुल रकबा 2.41 है० वाके ग्राम महासिंहपुरा उर्फ कपुरावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। उक्त खसरा न० साबिक खसरा न0 345 से बने है जो प्रार्थीगण के पिता श्रीनारायण व कल्याण पिता बालू के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित था जिनके वारीसो में बटवारां हो चुका है। बटवारे के अनुसार पैरा न० एक मे वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के हिस्से नें आयी है। साबिक खसरा न0 345 के नक्शा ट्रेस से बने हाल नक्शा ट्रेस के अनुसार खसरा न0 613/1204 रकबा 0.58 है० भूमि का रकबा बरारी मे नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम कर दी गई जो पुराने नक्शा ट्रेस के अनुसार नहीं है। अप्रार्थी सख्या एक व दो की हाल अराजी कृषि भूमि खसरा न० 613/1203 रकबा 0.23 है0, 628 रकबा 1.01 है०, खसरा न० 629 रकबा 0.89 है० कुल किता 3 कुल रकबा 2.13 है० वाके ग्राम महासिंहपुरा उर्फ कुपरावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित है जो साबिक खसरा न0 344 से बना है। अप्रार्थीगण के हाल खसरा न0 613/1203 रकबा 0.23 है0 की गलत रकबा बरारी कर गलत तरमीम कर दी गई। तथा नक्शा ट्रेस मे प्रार्थीगण की 0.35 है० भूमि अप्रार्थीगण के खसरा न0 613/1203 के हाल नक्शा ट्रेस मे गलत तरमीम कर दी गई। जबकि प्रार्थीगण का 0.58 है० भूमि

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

पर कब्जा काश्त है। हाल खसरा न0 613/1204 रकबा 0.58 हैं0 व 613/1203 रकबा 0.23 है0 के हाल नक्शा ट्रेस को देखने से ही स्पष्ट है कि दौराने सेटलमेन्ट भूप्रबन्ध अधिकारीयो व कर्मचारीयो द्वारा गलत रूप से रकबा के विपरित जाकर तरमीम की गई है जो गैर कानूनी है। हाल खसरा न0 613/1204 जिसका रकबा 0.58 है0 है की हाल नक्शा ट्रेस मे तरमीम 0.23 है0 के रकबे की कर दी गई तथा खसरा न0 613/1203 जिसका रकबा 0.23 है0 है की हाल नक्शा ट्रेस मे 0.58 है0 के रकबे की कर दी गई जो गलत है जिसको न्यायहित में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। दौराने भूप्रबन्ध अधिकारीयो व कर्मचारीयो को रिकार्ड आफॅ राईटस में किसी प्रकार का फेरबदल करने का कोई कानूनी अधिकार नही है उन्होने गलत रूप से प्रार्थीगण के हाल खसरा न0 613/1204 रकबा 0. 58 है0 मे से 0.35 है0 भूमि अप्रार्थीगण के खसरा न0 613/1203 रकबा 0. 23 है0 के नक्शा ट्रेस मे गलत तरमीम कर दी जिसको रकबे के अनुसार रकबा बरारी कर हाल नक्शा ट्रेस में दुरूस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। हाल खसरा न0 613/1204 रकबा 0. 58 है0 व खसरा न0 613/1203 रकबा 0.23 है0 के अनुसार रकबा बरारी कर हाल नक्शा ट्रेस मे दुरूस्त करने के लिए प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सख्या तीन से निवेदन किया तो अप्रार्थी सख्या तीन ने कहा की आपको सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त करने होगे इस कारण प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र बाबत रकबे के अनुसार रकबा बरारी कर हालं नक्शा ट्रेस मे तरमीम दुरूस्त किये जाने श्रीमान न्यायालय में पेश किया जाना आवश्यक हुआ। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के हाल खसरा न0 613/1204 रकबा 0.58 है0 की हाल नक्शा ट्रेस मे 0.58 है0 भूमि के अनुसार रकबा बरारी कर तथा खसरा न0 613/1203 रकबा 0.23 है0 भूमि के नक्शा ट्रेस के अनुसार रकबा बरारी कर दोनो खसरा नम्बरान के नक्शा ट्रेस को दुरूस्त किया जाकर प्रार्थीगण की 0.35 है0 भूमि के रकबे का गलत रूप से तरमीम करके अप्रार्थीगण के खसरा न0 613/1203 मे सामिल कर दी गई, उसको दुरूस्त कर प्रार्थीगण के हाल खसरा न0 613/1204 के हाल नक्शा ट्रेस मे शामिल किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजूद डाक रजिस्टर्ड तामील अंनुपस्थित । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध दिनांक 07.11.2024 को एकतरफा कार्यवाही की गई।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। वकीलं प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली व राजस्व रिकार्ड का आधोपान्त अवलोकन करने व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन करने पर हम इस निकर्ष पहुॅचे है कि वाके आराजी कृषि भूमि खसरा न0 613/1204 रकबर 0.58 है0, खसरा न0 619 रकबा 0.04 है0, खसरा न0 620 रकबा 0.06 है0, खसरा न0 621 रकबा 1.20 है0, खसरा न0 624 रकबा 0.02 है0, खसरा न0 825 रकबा 0.04 है0, खसरा न0 626 रकबा 0.47 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.41 है0 वाके ग्राम महासिंहपुरा उर्फ कपुरावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। उक्त खसरा न0 साबिक खसरा न0 345 से बने है जो प्रार्थीगण के पिता श्रीनारायण व कल्याण पिता बालू के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित था। जिनके वारिसान

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

...कय बटवारा अनुसार उपरोक्त आराजीयात प्राथींगण के हिस्से में आयी थी। साबिक खसरा न0 ...345 के नक्शा ट्रेस से बने हाल नक्शा ट्रेस के अनुसार खसरा न0 613/1204 रकबा 0.58 है० भूमि का रकबा बरारी मे नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम कर दी गई जो पुराने नक्शा ट्रेस के अनुसार नही है। अप्रार्थी संख्या एक व दो की हाल आराजी कृषि भूमि खसरा न० 613/1203 रकबा 0.23 है0, 628 रकबा 1.01 है०, खसरा न० 629 रकबा 0.89 है० कुल किता 3 कुल रकबा 2.13 है० ...गये ग्राम महासिंहपुरा उर्फ कुपरावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित है जो साबिक खसरा न0 344 से बना है। अप्रार्थीगण के हाल खसरा न0 613/1203 रकबा 0.23 है0 की गलत रकबा बरारी कर गलत तरमीम कर दी गई। तथा नक्शा ट्रेस मे प्रार्थीगण की 0.35 है० भूमि अप्रार्थीगण के खसरा न0 613/1203 के हाल नक्शा ट्रेस मे गलत तरमीम कर दी गई। जबकि प्रार्थीगण का 0.58 है० भूमि पर कब्जा काश्त है। हाल खसरा न0 613/1204 रकबा 0.58 है0 व ...13/1203 रकबा 0.23 है० के हाल नक्शा ट्रेस को देखने से ही स्पष्ट है कि दौराने सेटलमेन्ट प्रबन्ध अधिकारीयो व कर्मचारीयो द्वारा गलत रूप से रकबा के विपरित जाकर तरमीम की गई है। ...ल खसरा न० 613/1204 जिसका रकबा 0.58 है० है की हाल नक्शा ट्रेस मे तरमीम 0.23 है0 ...रकबे की कर दी गई तथा खसरा न० 613/1203 जिसका रकबा 0.23 है० है की हाल नक्शा ...स मे 0.58 है० के रकबे की कर दी गई जो गलत है दौराने भूप्रबन्ध अधिकारीयो व कर्मचारीयो ...। रिकार्ड आफॅ राईटस में किसी प्रकार का फेरबदल करने का कोई हक व अधिकार नही है ...होने गलत रूप से प्रार्थीगण के हाल खसरा न0 613/1204 रकबा 0. 58 है० मे से 0.35 है० मे अप्रार्थीगण के खसरा न0 613/1203 रकबा 0.23 है० के नक्शा ट्रेस मे गलत तरमीम कर दी ...सको रकबे के अनुसार रकबां बरारी कर हाल नक्शा ट्रेस में दुरूस्त किया जाना न्यायहित मे ...वश्यक है। जिसको न्यायहित में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि हाल खसरा नम्बर ...3/1204 रकबा 0.88 है0 कि हाल नक्शा ट्रेस में 0.58 है० भूमि के अनुसार रकबा बरारी कर ...था खसरा न0 613/1203 रकबा 0.23 है० भूमि के नक्शा ट्रेस के अनुसार रकबा बरारी कर दोनो ...सरा नम्बरान के नक्शा ट्रेस को दुरूस्त किया जाकर प्रार्थीगण की 0. 35 है० भूमि के रकबे का ...लत रूप से तरमीम करके अप्रार्थीगण के खसरा न0 613/1203 मे शामिल कर दी गई, उसको ...रूस्त कर प्रार्थीगण के हाल खसरा न0 613/1204 के हाल नक्शा ट्रेस मे शामिल किये जाने के ...देश दिये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार सांगानेर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय, (सांगानेर)
जयपुर